

VS-114
114
04-01-2022

अत्यंत महत्वपूर्ण/विधानसभा
विशेष पत्र वाहक/ई-मेल द्वारा

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वां तल, सी - विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट, नई दिल्ली-110002.

एफ.53(32)/अता./ ता प्र.सं.114/द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग-2022/दिविस/श.वि./1348-50 दिनांक: 01-01-22
सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054.

विषय:-दिल्ली सातवीं विधानसभा के द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग तारांकित /अतारांकित प्र. स. 114 माननीय
विधायक श्री. चरण गायल दिनांक 04.01.2022 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में ।

महोदया/ महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धृत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों, माननीय मंत्री शहरी
विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रित कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप-सचिव (संसदीय शाखा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री शहरी विकास (दिल्ली सरकार) 7वां तल 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित ।

उप-सचिव (संसदीय शाखा)

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री शिव चरण गोयल

दिनांक : 04.01.2022

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 114

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि रेशमा कैंप 2/22 के सामने WHS टिम्बर मार्केट, कीर्ति नगर में DDA की एक बहुत बड़ी जमीन खाली पड़ी है;	<u>दिल्ली विकास प्राधिकरण</u> दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्न भेजा गया था, परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र सं. एफ.5 (3)/मिस. /2015/पी एंड सी/ वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018, को सूचित किया है कि— दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए ए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के सम्बन्ध में सभा द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। (प्रतिलिपि संलग्न है)
ख	यदि हां, तो उसका कितना वर्ग क्षेत्रफल है; और	
ग	क्या भविष्य में इस भूमि पर निर्माण कार्य हेतु सरकार की कोई योजना है ?	


Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)
ब्लॉक-बी, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023

दिनांक 2 अगस्त, 2018

रा. एफ 5(3) / मिस. / 2015 / पी एंड सी / तीपरा / 769

Main letter in English was already been placed in the concern file.
श्री संदीप मिश्रा,
विशेष सचिव (संसद अनुभाग),
शहरी विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

DS-PC विषय : छठी दिल्ली विधानसभा के 7वें सत्र के दूसरे भाग में दिनांक 07/06/2018 को उठाए गए अतारांकित प्रश्न के संबंध में।

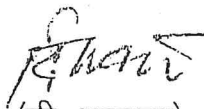
उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 09/07/2018 के अपने पत्र रा. एफ 5(3) (यू.एस.क्यू.) / बजट रोशन-सैकंड- जून-2018 / दिल्ली असेंबली / यू.डी. / डी 7175 7176 का अवलोकन करें, जिसकी संदर्भ सं. एफ.यू.एस.क्यू. / बजट रोशन II जून 2018 / दिल्ली असेंबली / यू.डी. / डी-6983-43 (यू.एस.क्यू.- 80), 6925 34 (यू.एस.क्यू. 78), 6977 80 (यू.एस.क्यू. 89) तथा 6901 6904 (यू.एस.क्यू. 70) दिनांक 29/05/2018 तथा अनुपूरक फरवरी डी 7066 से 7068 दिनांक 13/06/2018 है, जिसके द्वारा संदर्भित विषय पर उत्तर तैयार करने के लिए विभाग की उपयुक्त सामग्री प्रेषित करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में, यह बताया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 239 ए ए (3) (क) के अनुसार विधानसभा के पास राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आने वाले किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, केवल उन मामलों को छोड़कर जो राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं तथा सूची की प्रविष्टि 64, 65 तथा 66 से कुछ हद तक संबंधित हैं क्योंकि ये उक्त प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं। अतः आरक्षित विषयों अर्थात् प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकार के पास न तो कानून बनाने की शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी कार्यवाही करने की शक्तियां। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 29 में यह वर्णित है कि प्रश्नों की विषय सामग्री प्रसारण के मामलों से संबंधित होनी चाहिए जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है।

अतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए ए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए, विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न रखीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के संबंध में रागा द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए क्योंकि दि.वि.प्रा. केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।

तथापि, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास कार्य और सार्वजनिक कल्याण में दि.वि. प्रा. की भूमिका से संबंधित मामलों के संबंध में दि.वि.प्रा. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्राचार के उत्तर देना जारी रखेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव